

COMPTROLLER
C. S. A. University
Kanpur

बन्धु शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर



प्रबन्ध मण्डल की 150वीं बैठक
दिनांक 18-08-2014 का
कार्यवृत्त

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 150वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक : 18.08.2014

सभास्थल : कुलपति समिति कक्ष।

समय : पूर्वान्ह 11:00 बजे

उपस्थिति :-

1.	प्रोफेसर मुन्ना सिंह, कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री सुरजन, संयुक्त सचिव (प्रतिनिधि), प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री राम मिलन सिंह (प्रतिनिधि), निदेशक कृषि, उ०प्र०, लखनऊ-226001	सदस्य
4.	डा० आर०जी० गुप्ता (प्रतिनिधि), निदेशक पशुपालन, उ०प्र०, लखनऊ-226001	सदस्य
5.	श्री विपिन कुमार शुक्ला, ग्राम-भीतरगाँव, पोस्ट-खेडा कुर्सी, कानपुर देहात-209202	सदस्य
6.	श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', 127/476, जूही बारा देवी, कानपुर-208014	सदस्य
7.	श्री संत बी०एस० यादव, 76-खत्राना, शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद-283203	सदस्य
8.	श्री परिमल बाजपेयी, 177/बी/16-आर०एस० पुरम्, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005	सदस्य
9.	श्रीमती प्रतिभा राघव, विनय नगर कालोनी, क्वासी बिजली घर के सामने, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)।	सदस्या
10.	डा० डी०एस० यादव, रामलीला ग्राउण्ड उझानी, जिला बदायूँ-243601	सदस्य
11.	श्री विनय शाक्य, ग्राम-मटौरा, पोस्ट-गूरा, तहसील-विधूना, जिला-औरैया-206243	सदस्य
12.	डा० पी०एन० यादव, अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर मा० सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

मद संख्या 1	<p>: प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 31.01.2014 को सम्पन्न हुई 149वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा 149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014 की कार्यवृत्त का पुष्टि कर दी गयी। अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2014 में उल्लिखित शब्दों के अनावश्यक उपयोग एवं भ्रामक सूचना माननीय कुलाधिपति को प्रेषित करने पर गहरा असन्तोष एवं निम्नवत् उल्लिखित बिन्दुओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2014 में अंकित मद संख्या-2 बिन्दु संख्या-6 पर श्री टी०सी० मिश्रा के प्रकरण पर तीन सदस्यीय गठित समिति पर चर्चा संवैधानिक रूप से आधारहीन थी। उक्त प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के समादर में निस्तारित किया जा चुका है। संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र के सदस्यों ने यह अभिमत व्यक्त किया कि उन्हे उक्त प्रकरण की पूर्ण जानकारी नहीं थी। तदनुसार अध्यक्ष महोदय ने पूर्ण जानकारी से मा० सदस्यों को अवगत कराया तथा प्रकरण को पूर्ण सहमति के साथ निस्तारित कर दिया गया, एवं प्रबन्ध मण्डल की 149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014 के कार्यवृत्त पर सहमति व्यक्त की गयी। ● संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2014 में अंकित मद संख्या-2 बिन्दु संख्या-7, 8, 9 एवं 10 पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की 149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014 के कार्यवृत्त पर सहमति व्यक्त की गयी। ● संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2014 में अंकित बिन्दु संख्या-11 पर अंकित मद संख्या-29 पूरक-3 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया कि कोई भी तथ्य न ही हटाया गया है और न ही छिपाया गया है। माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र दिनांक 28.04.2014 के अनुपालन में विधिक कार्यवाही जो कि श्री टी०पी० दुबे से सम्बन्धित है को अमल में ला दी गयी है तदक्रम में श्री टी०पी० दुबे को वेतन मद में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। ● संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2014 में अंकित बिन्दु संख्या-12 पर अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय नहीं है जिस पर मा० सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ● संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2014 में अंकित बिन्दु संख्या-13 पर अंकित विषय पर कार्यवाही की जा रही है।
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2014 में अंकित बिन्दु संख्या-14 के क्रम में समस्त प्रकरण को मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 सदस्यों द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों पर सहमति व्यक्त की गयी।
मद संख्या 2	<p>चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- मद संख्या-2 अन्य निर्देश बिन्दु 2 (149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014 कार्यवृत्त)- विश्वविद्यालय अभियन्ता की शासन के निर्देशानुसार आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के स्तर से जाँच चल रही है। निर्णय आने पर मा0 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। 2- मद संख्या 7 (149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014)- डा0 आर0पी0एस0 खोखर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के प्रकरण को विधिक राय के परिपेक्ष्य में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निस्तारित किया गया। 3- मद संख्या 26 (149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014)- पुरस्कार वितरण विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से करेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष रु0 50,000.00 होगी तदनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 4- मद संख्या-29 पूरक-3 (149वीं बैठक दिनांक 31.01.2014)- श्री टी0पी0 दुबे के प्रकरण पर मा0 कुलाधिपति महोदय के आदेश से वेतन मद में भुगतान की गई अधिक धनराशि की वसूली की जा रही है। प्रक्षेत्र अधीक्षक का आरक्षित आवास अविलम्ब रिक्त कराने हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही करे।
मद संख्या 3	<p>चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना का प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद संख्या 4	<p>विश्वविद्यालय के इटावा प्राँगण में नवसृजित डेयरी टेक्नोलाजी महाविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या-714/67-कृशिअ-14-400 (5)/12 दिनांक 24.06.2014 का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद संख्या 5	<p>विश्वविद्यालय के इटावा प्राँगण में नवसृजित मत्स्य महाविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या-713/67-कृशिअ-14-400 (5)/12 दिनांक 24.06.2014 का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद संख्या 6	<p>विश्वविद्यालय में सृजित पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु अर्हता निर्धारित किये जाने के संदर्भ में प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या-1047/67-कृशिअ-14-1500(20)/14 दिनांक 03.07.2014 के क्रम में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय के पदों का सम्पूर्ण विवरण मा0 सदस्यों के संज्ञानार्थ प्रेषित किया जाय।</p>

मद संख्या 7	: विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की संख्या कम होने के कारण विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के लिए वाह्य विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा मानदेय रु0 1,000.00 तक तथा स्क्रीनिंग प्रक्रिया नियमानुसार सम्पन्न करने हेतु अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 8	: एटिक भवन के पास अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की मूर्ति एवं चबूतरे के निर्माण हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा मूर्ति हेतु रु0 10.00 लाख एवं चबूतरे हेतु रु0 5.00 लाख के व्यय का अनुमोदन सहर्ष प्रदान किया गया। व्यय इंस्टीट्यूशनल चार्ज मद/विश्वविद्यालय आय से किया जायेगा।
मद संख्या 9	: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय-14 की धारा-28 (एफ) में संशोधन के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार पाठ्यक्रमों को लागू किये जाने का प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 10	: कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापन हेतु Contractual Teaching Personnel के मानदेय में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर की भाँति नियमानुसार अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापन/मानदेय में एकरूपता रखी जाय।
मद संख्या 11	: कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापन हेतु प्रतिमाह नियत धनराशि पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव उक्त मद संख्या-10 के क्रम में अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 12	: कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु मानदेय में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 13	: कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के अतिथि गृह के सूट/कक्षों की वर्तमान दरों के पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि सूट नं0-1, 2, एवं 3 को आरक्षित रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर से आवंटन की व्यवस्था दी गयी।

मद संख्या 14	<p>: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु केस्को को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया कि केस्को से एम0ओ0यू0 लेकर कार्यवाही की जाय एवं केस्को अपने कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण स्वयं करायेंगे।</p>
मद संख्या 15	<p>: बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुमानित आय-व्यय को माननीय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 सदस्य श्री विनय शाक्य द्वारा अपेक्षा की गयी कि महाविद्यालय के नाम के बोर्ड को ठीक करा दिया जाय।</p>
मद संख्या 16	<p>: माननीय विद्वत परिषद की 131वीं बैठक दिनांक 25.01.2014 मद संख्या-9 पर कृषि व्यवसाय प्रबन्धन के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों में भी अध्यापन करने वाले अतिथि प्रवक्ताओं (गेस्ट फैकल्टी) को रु0 300/- प्रति लेक्चर से बढ़ाकर रु0 600/- प्रति लेक्चर अधिकतम रु0 21600/- प्रति माह की सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में एकरूपता रखते हुए मद संख्या-10 पर हुए निर्णय के अनुरूप अनुमोदित किया गया।</p>
मद संख्या 17	<p>: डा0 अशोक कुमार सिंह, जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोन-IV भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कानपुर का चयन सहायक महानिदेशक (ए0ई0) आई0सी0ए0आर0, हेडक्वार्टर, नई दिल्ली के पद पर हो जाने के फलस्वरूप पूर्व प्रदत्त धारणाधिकार (लियन) दिनांक 19.07.2012 से 18.07.2015 की समापन तिथि 18.07.2015 तक सहायक महानिदेशक (कृषि प्रसार) के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु अनुमति/स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि पद के लिए धारणाधिकार हेतु शासन को संदर्भित किया जाय।</p>
मद संख्या 18	<p>: डा0 राजीव कुमार दोहरे, सह-प्रशिक्षक (कृषि प्रसार), के0वी0के0, झांसी की नियुक्ति नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्र, गोरखपुर में ट्रेनिंग आर्गनाइजर वेतनमान 12000-18300 पर हो जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 31.12.2004 को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद संख्या 19	<p>: डा0 दुष्यन्त कुमार, तकनीकी अधिकारी (एग्रोमेट्रोलाजी), क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र भरारी, झांसी का चयन वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश पी0सी0एस0 संवर्ग में जिला गन्ना अधिकारी पर हो जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 19.12.2011 को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>

मद संख्या 20	: डॉ० सतेन्द्र कुमार, सह-प्राध्यापक (मृदा विज्ञान), बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा को दिये गये धारणाधिकार की अवधि समाप्त के उपरान्त कार्यभार ग्रहण न करने पर सेवा समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 21	: उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Economic analysis of post harvest losses in rice & wheat in district, Kanpur Dehat (U.P.)" को विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 22	: उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Marker-assisted introgression of saltol I genes/QTL in to elite rice varieties for tolerance to salinity" को विश्वविद्यालय में कियान्वयन हेतु प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 23	: उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित एवं स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Utilization of indigenous foods for the development of functional foods to combat micronutrient deficiencies" को विश्वविद्यालय में कियान्वयन हेतु प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 24	: उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Bio-prospecting of microbes from different agro-ecological niches for promotion of low-input green technology for sustainable and organic farming in eco-agriculture" को विश्वविद्यालय में कियान्वयन हेतु प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 25	: उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "To investigate influence of fluoride contaminated irrigation water on guar (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>) genotypes: growth, development & yield characteristics to sustain agro socio-economy" को विश्वविद्यालय के कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 26	: Science & Engineering Research Board, New Delhi द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Assessment of fluoride concentration in groundwater and its transfer from water-soil-crops to food chain with associated health hazards in U.P." को विश्वविद्यालय के कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय हित में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 27	<p>: उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Evaluation of high yielding varieties/hybrids of cucurbitaceous vegetable for river bed (diara land) cultivation and standardization of their agro-techniques" को विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद संख्या 28	<p>: विश्वविद्यालय परिसर के आवासों का किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव नियमानुसार अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों, समान कार्य समान वेतन कार्मिकों एवं संविदा कार्मिकों से आवास किराया मूल वेतन का 10 प्रतिशत देय होगा।</p>
मद संख्या 29	<p>: उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Early detection of sub-cleanic mastitis" को विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन किये जाने पर अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव नियमानुसार अनुमोदित किया गया तथा मा० सदस्य श्री सतीश कुमार निगम ने डा० वेद प्रकाश द्वारा पशुओं से सम्बन्धित बीमारियों की पाकेट डायरी बनाये जाने की अपेक्षा की तथा डा० आर०जी० गुप्ता, अपर निदेशक (पशुपालन) से सम्पर्क करते रहने का निर्देश दिया गया।</p>
मद संख्या 30	<p>: दुग्धशाला पर उपलब्ध बछड़ों को गोसंवर्धन एवं कृषि कार्यों हेतु किसानों को हस्तगत करने एवं प्रचार प्रसार हेतु विश्वविद्यालय के प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र को एक बछिया तथा एक बछड़ा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव।</p> <p>मा० सदस्यों ने विस्तृत चर्चा करते हुए प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि पशुओं का पेडेग्री रिकार्ड रखा जाय तथा कामधेनु योजना हेतु बछड़ों को नियमानुसार दिया जाय एवं प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक बुक वैल्यू के आधार पर दुग्ध विज्ञान विभाग से एक बछिया एवं बछड़ा लें जिसे केन्द्र के कार्यक्षेत्र के एक प्रगतिशील कृषक को गोसंवर्धन हेतु उपलब्ध करायें।</p>
मद संख्या 31	<p>: विद्वत् परिषद की 133वीं बैठक दिनांक 26.07.2014 में प्राप्त अनुमोदनानुसार गृह विज्ञान संकाय की आर्टिस्ट/नर्सरी टीचर का रू० 6000/- से रू० 10000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>



-: पूरक प्रस्ताव :-

मद संख्या 32	: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।
पूरक 1	: विज्ञापन संख्या-02/2006 द्वारा विज्ञापित कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए स्वीकृत फार्म मैनेजर एवं प्रोग्राम असिस्टेन्ट के पदों को भरे जाने हेतु की गई कार्यवाही को निरस्त कर पुनः विज्ञापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 2	: अधिष्ठाता/निदेशक/विभागों/अनुभागों/एकप/तदर्थ योजनाओं/उप निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र/प्रक्षेत्र/विश्वविद्यालय अभियन्ता/पुस्तकालय/के0वी0के0/शोध केन्द्रों के आकस्मिक कार्यों को समयबद्ध करने हेतु रु0 5000.00 एक बार में तथा एक वित्तीय वर्ष में रु0 60000.00 इम्प्रेस्ट व्यवस्था विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 3	: उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Tagging Alternaria blight resistance loci and marker assisted back crossing (MABC) in linseed (Linum usitatissimum L.)" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 4	: उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Early detection of sub-clinical mastitis" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 5	: उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, (उपकार), लखनऊ द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम शोध परियोजना "Role of women in food security to safe agricultural productivity in U.P. State" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 6	: विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव नियमानुसार अनुमोदित किया गया।

पूरक 7	: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों को बाह्य सेवा पर धारणाधिकार के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि 10 वर्ष की सेवा के बाद दो वर्ष का धारणाधिकार दिया जायेगा यदि दो वर्ष की निर्धारित तिथि के बाद वापस नहीं आते हैं तो उनकी सेवार्यें समाप्त कर दी जाय।
पूरक 8	: विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार विभाग से सेवानिवृत्त डा0(श्रीमती) ऊषा बाजपेई, ट्रान्सलेटर-कम-आडीटर/सहायक प्राध्यापक के लम्बित वेतन एवं अन्य प्रतिगामी लाभ प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 9	: डा0 राजीव, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एग्रोनमी), के0वी0के0, अलीगढ़ का 06 माह का धारणाधिकार दिनांक 03.12.2011 को पूर्ण होने पर पुनः दिनांक 04.06.2011 से 23.07.2012 तक का धारणाधिकार (लियन) बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 10	: विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों में सृजित पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु अर्हताओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 11	: डा0 आर0पी0एस0 खोखर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव। प्रकरण को विधिक राय के परिपेक्ष्य में निस्तारित किये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
पूरक 12	: विश्वविद्यालय परिसर में आई0डी0बी0आई0 बैंक की शाखा खोलने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि स्पष्ट प्रस्ताव MOU के साथ प्रस्तुत किया जाय तथा अन्य बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा के साथ दिया जाय एवं ATM charge exempt किया जाय।

Ues

कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा

पूरक 1	: कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत जनपद इटावा में स्थापित मत्स्य महाविद्यालय एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन, वेतन मत्ता/सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 2	: दुग्ध अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा में उपयोग में लाये जाने हेतु फर्नीचर, फर्नीशिंग एवं उपकरणों आदि के क्रय स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 3	: कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुमानित आय-व्यय को स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 4	: जीर्ण-शीर्ण, पुराने भवनों व संरचनाओं के नीलामी के अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा नीलामी से कार्य कराने हेतु अनुमोदित किया गया।
पूरक 5	: आर्थिक संसाधन अर्जित करने हेतु लगभग 1400 मीटर लम्बी चारदीवारी निर्माण एवं उक्त चारदीवारी से सटाकर (Shop cum integral part of boundary) लगभग 650 मीटर की लम्बाई में लगभग 200 दुकानों के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव। (इटावा कैम्पस) मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 6	: माननीय विद्वत परिषद की 10.10.2011 को आयोजित 121वीं बैठक की संस्तुति/कार्यवृत्त के क्रम में कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के अन्तर्गत Agricultural Engineering में Master of Technology and Doctor of Philosophy तथा Mechanical Engineering में M.Tech व Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु परिनियमावली के अध्याय के सेक्शन 28(f) में प्राविधान हेतु अनुमोदन। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

पूरक 7	: महाविद्यालय के रिक्त सृजित शैक्षणिक पदों की पुनर्संरचना (Restructuring) एवं उनके सापेक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
पूरक 8	: महाविद्यालय के रिक्त गैर शैक्षणिक पदों की पुनर्संरचना (Restructuring) एवं उनके सापेक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 9	: स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति से सम्बन्धित निम्न जानकारियों मा0 सदस्यों के संज्ञान में लायी गयी :-


- विगत 9 महीनों में लगभग 50 से अधिक न्यायालय में लम्बित वादों का निस्तारण कराया जा चुका है।
- विश्वविद्यालय में वर्षों से लम्बित शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लम्बित देयकों का लगभग रु0 12.00 करोड का भुगतान वित्तीय प्रबन्धन द्वारा किया जा चुका है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की JRF परीक्षा 2014 में विश्वविद्यालय के 44 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की JRF परीक्षा 2014 के माध्यम से P.G. प्रवेश हेतु 26 छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय को अध्ययन हेतु चुना है। यह विद्यार्थी विभिन्न प्रदेशों जैसे-नागालैण्ड, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं बिहार आदि के हैं जो कि कीर्तिमान है।
- विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा लगभग 300.00 लाख के प्रोजेक्ट वाह्य संस्थाओं से प्राप्त किये गये हैं तथा लगभग 200.00 करोड के प्रोजेक्ट विभिन्न संस्थाओं को प्रेषित किये जा चुके हैं।
- विश्वविद्यालय को 5 महाविद्यालय क्रमशः कृषि महाविद्यालय लखीमपुर, उद्यान महाविद्यालय कानपुर, वानिकी महाविद्यालय कानपुर, डेयरी टेक्नोलॉजी महाविद्यालय इटावा एवं मत्स्य महाविद्यालय इटावा प्राप्त हुए हैं। इनसे सम्बन्धित पठन-पाठन के पाठ्यक्रम की अनुमति भी शासन से प्राप्त हो चुकी है साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि कई बन्द पाठ्यक्रमों को भी माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर अध्यापन कार्य पुनः संचालित किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय के लगभग 170 से अधिक अकुशल/कुशल समान कार्य समान वेतन कार्मिकों को मा0 उच्चन्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादर एवं शासन से प्राप्त निर्देशानुसार विनियमित किया गया है।


Uea

- विश्वविद्यालय के वातावरण को साफ-सुथरा एवं वृहद वृक्षारोपण द्वारा कैम्पस को सौंदर्यीकृत किया गया साथ ही विश्वविद्यालय के जीर्ण-शीर्ण छात्रावासों, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों का जीर्णोद्धार भी किया गया।
- विश्वविद्यालय के गेट संख्या-1 पर ऐतिहासिक तालाब एवं उसके आस-पास के क्षेत्र की साफ-सफाई एवं वृक्षारोपित कर सौंदर्यीकृत किया गया।
- विश्वविद्यालय द्वारा देश का प्रथम सचल बीज विक्रय वाहन संचालित किया गया जिसके माध्यम से गुणवत्तापरक बीज किसानों को ग्राम पंचायत पर उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे खाद्यान्न सुरक्षा एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्मिकों की बायोमेट्रिक के माध्यम से मानीटरिंग की जा रही है।
- कुलसचिव कार्यालय से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं के प्रपत्रों को शीघ्र ही ऑनलाइन कर दिया जायेगा।
- पुस्तकालय डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गयी है एवं विश्वविद्यालय को ई-गवर्नेन्स की परिधि में लाने हेतु प्रयास जारी है।
- कैम्पस के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं, कार्मिकों हेतु शुद्धीकृत पेयजल की सुलभता प्रदान की गई है।
- छात्र-छात्राओं के उच्चिकृत अध्ययन को सुनिश्चित करने हेतु 5 स्मार्ट क्लास संचालित किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षा, शोध एवं प्रसार से सम्बन्धित अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मा० प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को उपलब्ध कराई गईं। उक्त के दृष्टिगत मा० प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल के प्रति प्रसन्नता व्यक्त किया एवं यह भी अनुमोदन किया कि कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल को उक्त सभी सराहनीय कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र दिया जाय।

अन्त में बैठक मा० अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

अनुमोदित

 प्रोफेसर मुन्ना सिंह
 कुलपति एवं अध्यक्ष
 प्रबन्ध मण्डल
 19.8.2014


 {पी०एन० यादव}
 अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
 प्रबन्ध मण्डल